स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–23, अंक–4, चैत्र–वैशाख 2072, अप्रैल 2015

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा – पृष्ठ–6

मैं किसान की रजामंदी के बिना भूमि अधिग्रहण का औचित्य सिद्ध करने के लिए दी गई दलिलों का विश्लेषण करना चाहूंगा। मुझे बार–बार यह सुनने को मिल रहा है कि जमीन की उपलब्धता विकास के रास्ते में आड़े रही है। जमीन होने के कारण 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं...

भूमि अधिग्रहण : पहले भूमि का ऑडिट हो

अनुक्रम

स्वदेशी पत्रिका (कवर पेज) /1
स्वदेशी पत्रिका पढ़ें और पढ़ायें /2
अनुक्रम /3
पाठकनामा/उन्होंने कहा /4

आवरण कथा :
भूमि अधिग्रहण : पहले भूमि का ऑडिट हो
– देविन्दर शर्मा /6

दृष्टिकोण : गरीब ही क्यों करें त्याग?
– डॉ. अश्विनी महाजन /8

विमर्श : कालेधन के खिलाफ जंग
– निरंकार सिंह /10

उपलब्धि : देशी जीपीएस की तरफ बढ़ते हमारे कदम
– शशांक द्विवेदी /12

अर्थव्यवस्था : उद्यमी से दूरी ही उचित है
– डॉ. भरतझुनझुनवाला /15

चर्चा : चीन की नई चाल
– ब्रह्मा चेलानी /17

अंतर्राष्ट्रीय: शिया–सुन्नी के विवाद में फँसा यमन मुल्क
– सतीश पेडणेकर /19

सामयिकी : बढ़ती असमानता की चुनौतियाँ
– जयंतीलाल भंडारी /21

वर्चस्व : इंटरनेट पर छाएगी अब भारतीय भाषाएं
– मुकुल श्रीवास्तव /23

स्वास्थ्य : क्षय मुक्त भारत बनाने में हम अफसल क्यों?
– रवि शंकर /25

संस्कृति : भारतीय नववर्ष
– डॉ. श्यामदेव मिश्र /27

प्रतिक्रिया :
गाँव समाज और खेतीबाड़ी टूटी तो बढ़ेगी बेरोजगारी
– राजकमल त्यागी /29

समाचार परिक्रमा /31

गाँधी युग :
अंतिम जन को खैरात नहीं, खुद्दारी की दरकार
– अरुण तिवारी /35

रपट /37

स्वदेशी जागरण मंच की गतिविधियाँ /39–40

■ पाठकनामा

जरूरी है शिक्षा व्यवस्था को बदलना

देश में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने से उद्योग जगत और आम आदमी को काफी उम्मीद थी अब एक वर्ष होने वाला है। परंतु मेरे हिसाब से अभी तक कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। मोदी सरकार नीतियाँ तो काफी बना रही हैं लेकिन इन नीतियां को कैसे लागू करें और कैसे लाभ पहुँचे इसी कमोवेश पर सरकार विवादित होती जा रही है। मेरे हिसाब से सरकार को सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। भारतीय शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को देश के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता बनाने वाली हो। वर्तमान जो शिक्षा है उससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा, द्वेष भावना, झूठ–बोलने की प्रवृत्ति ओर एक दूसरे को नीचे–दिखाने का भाव उत्पन्न करनी वाली है, परिणाम स्वरूप वर्तमान शिक्षा के कारण बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही हैं। केन्द्र सरकार को शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार बनाने चाहिए जिसमें बच्चों को आत्मनिर्भरता के साथ–साथ देश के उद्योग–धंधों और भारतीय संस्कृति पर आधारित हो जो आने वाली पीढ़ी में बेरोजगारों की संख्या को कम करेगी।

– रविन्द्र जुल्का, सेक्टर–10, गुड़गाँव, हरियाणा

आप पार्टी – वीईपी पार्टी या अपनी महत्वाकांक्षा पार्टी

आप पार्टी को दिल्लीवासियों ने भरपूर जीत दिलाई थी। जिस पार्टी को आम आदमी की पार्टी कहा जाता है आज वही 'आप पार्टी' अपने कार्यक्रमों में वीईपी कल्चर भी अपना रही है। उनके सभी कार्यक्रम में अब दूसरी पार्टी की आमजन के रास्ते को दो किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। जिसके कारण आम नागरिक को गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाईयां महसूस कर रहा है। आम आदमी पार्टी के अंदर अब अपने ही सदस्यों पर लात–घूसे भी चल रहे हैं। वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो आप पार्टी को बनाने वाले केजरीवाल जी को तोड़ने का श्रेय जाता है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं पर ज्यादा ध्यान देते है। मेरे हिसाब से केजरीवाल दिल्ली की राजनीति के शिखर पर तो हैं पर सहयोगियों के प्रति उनकी असहिष्णुता दर्शाती है कि उनका राजनीतिक पतन भी अब दूर नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि ऐतिहासिक गलतियों और भूलों की नींव में अभिमान ही होता है।

– वीरेन्द्र सिंह बिष्ट, करतार नगर, दिल्ली–53

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क :150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क:15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

काले धन पर अंकुश लगाने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। अब विदेशों से धन वापस लाने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया है।

– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

सिर पर मैला ढोने के लिए मजबूर हमारे सभी बहन और भाईयों को इस कलंक से मुक्त करने में देर नहीं होनी चाहिए।

– अमित शाह

हमने फैसला लिया है कि कोई भी मुकदमा पांच साल से ज्यादा समय तक लंबित न रहे। इसके लिए हम हरसंभव प्रयास करेंगे।

– मुख्य न्यायाधीश एचएच दत्तू

आज भले ही हमारी सरकार नहीं है लेकिन इसके बावजूद किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसले पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी।

– सोनिया गाँधी

भूमि अधिग्रहण विधेयक में हम विपक्ष के सुझावों को भी शामिल करेंगे। हमें उम्मीद हैं कि इस मुद्दे पर सभी पक्षों के बीच सहमति बन जाएगी।

– वेंकैया नायडू

रामदास को निकाले जाने से साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी मजबूत लोकपाल के बजाय मजबूर लोकपाल चाहती है। आप पार्टी दिल्ली की जनता की भलाई करने के बजाय आपस में ही लड़ रही है।

– अजय माकन

लखवी की रिहाई से साबित होता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रति पाकिस्तान कत्तई गंभीर नहीं है।

– निर्मला सीतारमन

मुद्रा बैंकः देर आए दुरूस्त आए

छोटी साख यानी कम पैसे की आवश्यकता वाले करोड़ों व्यक्तिगत व छोटे संगठन वाले उद्यमियों के लिए अच्छी खबर है मुद्रा बैंक योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसकी घोषणा की तो उन करोड़ों लोगों के मन में आत्मसम्मान के साथ कर्ज लेकर अपना व्यापार शुरू करने का सपना साकार होता नजर आया, जो अभी तक सूदखोरों और बिचौलियों के चंगुल में व्यापार के आत्मसम्मान का सौदा कर रहे थे। पचास हजार से लेकर 10 लाख तक की वित्तीय सहायता वाली इस मुद्रा योजना से स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता के नये अवसर तो बनेंगे ही साथ ही माइक्रो फाइनेंस के बेहतर नियमन का भी ढांचा तैयार होगा। मुद्रा यानि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एजेंसी का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को न सिर्फ सस्ता ऋण उपलब्ध कराकर इन वर्गों की जिदंगी सरल बनाकर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है, बल्कि माइक्रो क्रेडिट सिस्टम यानि सूक्ष्म साख सुविधा व्यववस्था को भी दुरूस्त करने की हैं। आए दिन यह मामला प्रकाष में आता है कि माइक्रो फाइनेंस व्यवसाय से जुड़े लोग मनमाने ढंग से ब्याज वसूलते हैं। कई बार तो यह ब्याज की दर 60 फीसदी सालाना तक पहुंच जाती है और कर्ज में फंसा व्यक्ति जब पैसा और ब्याज चुका नहीं पाता तो सार्वजनिक रूप से उसे जिल्लत का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री के विशेष प्रयास से शुरू की गई इस योजना में डिफाल्टर होने की स्थिति में पैसे की उगाही की भी बहुत ही सरल व्यवस्था रखी गई है। इस योजना में किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मुद्रा बैंक योजना का लाभ देश भर के कुल 5 करोड़ 77 लाख छोटी इकाइयों को मिलने वाला है। जाहिर है इसमें एक बड़े तबके को वित्तीय कवच मिल जाएगा, जो अंततः देश की अर्थव्यवस्था को ही मजबूती प्रदान करेगा। आज जिस तरह से नियमित नौकरियों की कमी हैं और जिस तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे देश में अनुपयोगी मानव संसाधन का हिस्सा बड़ा होता जा रहा है। मुद्रा बैंक की योजना उन तबकों के लिए और लाभकारी हो सकती है जो परंपरागत तरीके से छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार में ही लगे हैं। लेकिन लगातार महंगाई बढ़ने और प्रतिस्पर्धा में मजबूत वित्तीय व्यवस्था वाली कंपनियों के उतरने से छोटे उद्यमियों को व्यापार करना काफी कठिन होता जा रहा है और उस पर से बाजार में गिद्व की दृष्टि जमाये बैठे साहूकारों और सूदखोरों के दबदबे और मनमाने ढंग से ब्याज वसूलने पर कोई अंकुश नहीं होने के कारण सम्मान और संपत्ति भी दाँव पर लग जाते हैं। इस मुद्रा योजना से अल्पसंख्यकों को भी काफी लाभ पहुंच सकता है। अभी तक गावों और दूरदराजों के लोगों को न तो नियमित बैंकिंग सुविधा मिल रही थी और न आसान ऋण तक पहुंच ही थी। इस कारण छोटे कारोबार करने वाले लोग वित्त की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। एनएसएसओ के सर्वे के अनुसार 2013 तक प्रोपराइटरशिप और छोटी इकाई चलाने वालों की संख्या 5 करोड़ 77 लाख थी, जिनसे लगभग 26 करोड़ लोगों की जीविका जुड़ी थी। लेकिन इन्हें पर्याप्त और कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध ही नहीं थी। देश में अजीब बिडंबना है कि एक तरफ लाखों करोड़ रुपये का ऋण कुछ चंद कंपनियों को आसानी से मिल जाता है और करोड़ों लोग जो देश की अर्थव्यवस्था में सीधे योगदान कर रहे हैं उन्हें किसी तरह की सुविधा प्राप्त नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 हजार करोड़ की लागत से मुद्रा बैंक योजना को चालू कर ग्रामीण और छोटे शहरों में रहने वाले उद्यमियों, जिनमें बडी संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी शामिल होंगे, के लिए एक अवसर व तरक्की का रास्ता खोल दिया है। सूक्ष्म साख योजना या माइक्रोफाइनेंस को नियंत्रित और नियमित करने का अभी तक कोई कारगर कानून नहीं था। कई राज्यों में माइक्रो फाइनेंस के तहत लूटमार मचाने और मनमाने ढंग से ब्याज वसूलने की घटनाएं सामने आ रही थी। कुछ राज्यों में तो न्यायालय तक को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में घोर मनमानी चल रही थी। मामूली पैसे को लेकर विवाद हो जाता है और लोगों की जान पर बन आती है। लेकिन मुद्रा बैंक योजना के लागू होने से इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सकता है। मुद्रा बैंक योजना में फ्रेंचाइजी का प्रावधान है। यानी कोई ऐजेंट यदि मुद्रा बैंक का काम करता भी है तो उसे मनमाने ढंग से पैसा वसूलने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए मुद्रा बैंक द्वारा बनाए गए नये दिशा निर्देशों को मानना ही पड़ेगा।

भूमि अधिग्रहण : पहले भूमि का ऑडिट हो

मैं किसान की रजामंदी के बिना भूमि अधिग्रहण का औचित्य सिद्ध करने के लिए दी गई दलिलों का विश्लेषण करना चाहूंगा। मुझे बार–बार यह सुनने को मिल रहा है कि जमीन की उपलब्धता विकास के रास्ते में आड़े रही है। जमीन होने के कारण 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। जहां सरकार रुके पड़े प्रोजेक्ट की सूची देने में नाकामयाब रही वहीं, 2015 के आर्थिक सर्वेक्षण में आधारभूत ढांचे से संबंधित परियोजनाओं में अड़चन बनने वाले कारकों की सूची में जमीन शामिल नहीं है।

■ देविन्दर शर्मा

आने वाले दिनों में भूमि अधिग्रहण को लेकर लड़ाई और तेज होगी, संसद में और सड़कों पर भी। किसानों के विभिन्न संगठन प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और उधर अन्ना हजारे भी पदयात्रा शुरू करने की योजना बना रहे हैं। सरकार खुद भी राज्यसभा में कड़ी चुनौती का सामना करने की तैयारी में लगी है, जहां उसका संख्याबल कमजोर है। लोकसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक को 11 मामूली संशोधनों के साथ पारित कर दिया, जो 2013 के कानून में पहले से ही सामहित थे। ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह ने नए कानून के बचाव में बहुत पसीना बहाया पर उससे कोई प्रभावित नहीं हुआ। बिल को लेकर हुई बहस और शोर–गुल अब भी जारी है, लेकिन इसमें मूल मुद्दा गायब हो गया कि बलपूर्वक भूमि अधिग्रहण के कानून की ऐसी क्या जरूरत है। सार्वजनिक रूप से इसका परीक्षण नहीं हो सका।

यहां मैं किसान की रजामंदी के बिना भूमि अधिग्रहण का औचित्य सिद्ध करने के लिए दी गई दलिलों का विश्लेषण करना चाहूंगा। मुझे बार–बार यह सुनने को मिल रहा है कि जमीन की उपलब्धता विकास के रास्ते में आड़े रही है। जमीन होने के कारण 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। जहां सरकार रुके पड़े प्रोजेक्ट की सूची देने में नाकामयाब रही वहीं, 2015 के आर्थिक सर्वेक्षण में आधारभूत ढांचे से संबंधित परियोजनाओं में अड़चन बनने वाले कारकों की सूची में जमीन शामिल नहीं है। इसमें कहा गया है कि बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों और निवेशकों की रुचि के अभाव में परियोजनाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं। दूसरी बात, यदि जमीन की अनुपलब्धता ही रोड़ा है तो मुझे कारण समझ में नहीं आता कि 576 विशेष आर्थिक क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम क्यों रहे।

सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए 45,635.63 हेक्टेयर जमीन अधिसूचित की गई थी, जबकि वास्तविक काम 28,488.49 हेक्टेयर यानी 62 फीसदी अधिग्रहित जमीन पर हुआ। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों से तो कोई रोजगार पैदा हुआ और इसने मैन्यूफैक्चरिंग (उत्पादन) या औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा दिया। ध्यान रहे कि वहां तो पर्यावरण संबंधी कोई मंजूरी लेनी थी और सामाजिक प्रभाव का आकलन करने की कोई अनिवार्यता थी। इन रियायतों के आलावा अनुमान के मुताबिक 1.75 लाख करोड़ रुपए का कर–अवकाश भी दिया गया, लेकिन एसईजेड अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए।

सीएजी ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, 'सरकार द्वारा जनता से भूमि का अधिग्रहण ग्रामीण आबादी से कॉर्पोरेट जगत में संपत्ति का बड़ा हस्तांतरण साबित हो रहा है।' मुझे नहीं लगता कि सरकार को यह भी मालूम है कि अधिग्रहित जमीन का कितना हिस्सा खाली पड़ा है। एक टीवी चैनल द्वारा की गई जांच में पता चला कि सिर्फ पांच राज्यों में ही अधिग्रहित जमीन का 45 प्रतिशत बगैर इस्तेमाल पड़ा है। मसलन, उड़ीसा के गोपालपुर में टिस्को के स्टील प्लांट के लिए 1995 में

- **विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए 45,635.63 हेक्टेयर जमीन अधिसूचित की गई थी, जबकि वास्तविक काम 28,488.49 हेक्टेयर यानी 62 प्रतिशत अधिग्रहित जमीन पर ही हुआ। तो कोई रोजगार पैदा हुआ और मैन्यूफैक्चरिंग तथा औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा मिला।**
- **चीन में हर साल 75,000 भू–संघर्ष होते हैं, जिनमें से ज्यादातर में खून–खराबा तक हो जाता है। वहां पिछले 10 वर्षों के दौरान 28 लाख ग्रामीणों ने आत्महत्या की। इनमें से 80 प्रतिशत ने बलपूर्वक जमीन अधिग्रहित किए जाने के कारण यह घातक कदम उठाया।**
- **देश के पांच राज्यों में ही अधिग्रहित जमीन का 45 प्रतिशत बगैर इस्तेमाल पड़ा है। मसलन, उड़ीसा के गोपालपुर में टिस्को के स्टील प्लांट के लिए 1995 में 3799 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसका अब तक उपयोग नहीं हुआ है।**

3,799 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसका अब तक उपयोग नहीं हुआ है।

वैसे भी सरकार की निगाह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास पड़ी 17 लाख एकड़ अतिरिक्त जमीन पर लगी है। जब इतनी जमीन पहले ही उपलब्ध है तो मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि इस अतिरिक्त जमीन का पहले उचित उपयोग क्यों नहीं कर लिया जाता। फिर यह दलील बहुत मजेदार है कि वर्ष 2013 का कानून इसलिए बदलने की जरूरत है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों ने इसके खिलाफ राय दी थी। इस बात को भूलें कि कोयला खनन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कोयला क्षेत्रों की खुली नीलामी का विरोध किया था। किंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा 204 कोयला प्रखंडों का आवंटन रद्द करने के बाद अब चल रही नीलामी से 15 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है।

मुझे समझ में नहीं आता कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था में, जहां मुक्त उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, निजी क्षेत्र को बाजार में प्रचलित कीमत के मुताबिक जमीन के लिए खुली नीलामी में बोली लगाने को क्यों नहीं कहा जाता।

आईआईटी रुड़की के अध्ययन का अनुमान है कि पिछले 50 वर्षों में 5 करोड़ लोग 'विकास परियोजनाओं' के कारण विस्थापित हो गए भाखड़ा और पोंग बांध के विस्थापितों का आज तक पुनर्वास नहीं हो सकता, जमीन को लेकर संघर्ष मुख्यतः इसलिए उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार 'सार्वजनिक उद्देश्य' के नाम पर निजी क्षेत्र के लिए बलपूर्वक जमीन अधिग्रहित कर रही है। जैसा कि सीएजी की कई रिपोर्टों ने पाया है कि अधिग्रहित जमीन अंततः रियल एस्टेट कंपनियों के पास चली गई, जिनके वारे–न्यारे हो गए।

वॉशिंगटन स्थित राइट्स एंड रिसोर्सेस इनिशिएटिव को अपने अध्ययन में भूमि अधिग्रहण संबंधी 252 संघर्षों का पता लगा। कुछ समय पहले न्यूजवीक के लेख में फरीद जकारिया ने बताया था कि चीन में हर साल 75,000 भू–संघर्ष होते हैं, जिनमें से ज्यादातर में खून–खराबा तक हो जाता है। हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में पिछले 10 वर्षों के दौरान 28 लाख ग्रामीणों ने आत्महत्या कर ली। इनमें से 80 प्रतिशत ने बलपूर्वक जमीन अधिग्रहित किए जाने के कारण यह घातक कदम उठाया। ऐसे में भारतीय विधायिका को भूमि अधिग्रहण से होने वाली सामाजिक–आर्थिक उथल–पुथल पर ज्यादा चिंता होनी चाहिए।

वास्तव में जमीन को कमॉडिटी का रूप देना वैश्विक साजिश का हिस्सा है। वैश्विक स्तर पर देखें तो चीन भारत की खेती योग्य जमीन जितना हिस्सा निजी पूंजी द्वारा हस्तगत किया जा चुका है। विश्व बैंक ने 1996 में भारत को कह दिया था कि वह 40 करोड़ लोगों को वर्ष 2015 तक ग्रामीण भाग से हटाकर शहरों में ले जाए। यह आबादी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की कुल आबादी से दोगुनी है। वर्ष 2008 में विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में भारत से भू–दरों का सहारा लेकर आबादी के इस बदलाव में तेजी लाने को कहा था। इसी वजह से कृषि को जान–बूझकर संसाधनों से वंचित किया जा रहा है और किसानों की आमदनी कम रखी जा रही है ताकि उन्हें खेती छोड़ शहर में जाने के लिए मजबूर किया जा सके। औद्योगिक विकास को कृषि के खिलाफ बहस ही गलत है।

एक ऐसे समय जब रोजगार हीन आर्थिक वृद्धि हर कहीं आम है, उद्योग बढ़ते श्रमबल का अंश भी अपने में समायोजित नहीं कर सकते। पिछले 10 वर्षों में 2004 और 2014 के बीच उच्च वृद्धि दर के बावजूद सिर्फ 1.5 करोड़ रोजगार पैदा हुए, इसलिए ग्रामीण इलाकों में उद्यमशीलता को बढ़ावा और भूमिहीनों को भूमि देना ही अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एकमात्र समझदारीभरा रास्ता है। यदि बार–बार सूखे का सामना करने वाला महाराष्ट्र का हीवरे बाजार अपने 60 लखपतियों पर गर्व कर सकता है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा शेष देश में नहीं हो सकता। ❑

गरीब ही क्यों करें त्याग?

लगभग 25 वर्षों की एलपीजी नीति के चलते जीडीपी में भारी वृद्धि के बावजूद गरीबों की हालत खस्ता होती जा रही है। उनसे भूमि छिन रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और रोजगार का स्तर भी गिरता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर अमीरों के विकास के लिए गरीब ही त्याग क्यों करे! क्यों न एक ऐसी पद्धति बजे, जिसमें अमीर गरीबों के भले के लिए कुछ त्याग करें!

■ डॉ. अश्विनी महाजन

दुनिया में विकास के चिंतन में दो प्रकार की धारायें हैं। एक धारा है कि विकास का एक ऐसा तरीका अपनाया जाये जिसमें गरीब, बेरोजगार और वंचितों को केन्द्र में रखकर विकास की तमाम नीतियां बनें। ऐसा विकास जिसमें गरीबों को आगे बढ़ने के सभी मौके मिलें, ऐसी उत्पादन की पद्धति हो जिसमें रोजगार का सृजन हो, एक ऐसी वितरण नीति जिसमें आय और संपत्ति की असमानतायें न हों। यदि किसी कारण से विकास की यात्रा में गरीब पिछड़ जायें, रोजगार कमतर रह जाए या असमानतायें बढ़ जायें तो विकास की इस विसंगति को दूर करने के लिए आय और संपत्ति का पुनर्वितण, प्रत्यक्ष रोजगार सृजन, करने के लिए मनरेगा जैसी स्कीमें चलाई जायें और गरीबों को जरूरी उपयोग की सेवायें और सामान जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अनाज, ईंधन, आवास इत्यादि सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाए। इस प्रकार की सोच के ही समर्थक हैं नोबेल पुरूस्कार विजेता अमर्त्य सेन। लोकतंत्र में कभी–कभी इस प्रकार की नीति का उपयोग वोटों को लुभाने के लिए भी किया जाता है। ऐसी नीतियों को ही 'लोक लुभावन' की संज्ञा भी दी जाती है।

विकास सोच की एक दूसरी धारा है, जो विशुद्ध रूप से पूंजीवादी विचार से प्रेरित है। इस प्रकार की सोच वाले लोगों का यह तर्क है कि गरीबों के हित साधन का सही तरीका यह है कि पहले देश में उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए निवेश अधिकतम हो। उसके लिए जरूरी है कि निवेश के लिए सही वातावरण बने। जब निवेश बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा, तो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, सरकार को राजस्व मिलेगा, जिसका इस्तेमाल इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तो होगा ही, साथ ही साथ गरीबों को सब्सिडी देकर उनकी जरूरत का साजो–सामान भी सस्ता मुहैया करवाया जा सकेगा। इस प्रकार की सोच रखने वाले लोगों के सही विकास का पैमाना जीडीपी की ग्रोथ होता है। यदि जीडीपी 8 से 10 प्रतिशत या और ज्यादा बढ़ जाये तो इस तर्क वाले लोग उसे उपलब्धि मानते हैं। गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, आय और संपत्ति की असमानतायें में कमी इत्यादि को बाद में देखा जाएगा। उनका एक ही तर्क है कि यदि एक रोटी को चार लोगों के बीच में बांटा जाए तो हर एक के हिस्से में एक चौथाई रोटी ही आएगी, लेकिन ग्रोथ से रोटियां चार हो जायें तो हर एक के हिस्से में एक–एक रोटी आ जायेगी। अमरीकी अर्थशास्त्री जगदीश भगवती का कुछ यही मानना है, जिसे कुछ समय पहले एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था।

गौरतलब है कि कारपोरेट और अन्य बिजनेस को दी जाने वाली छूटों के चलते सरकार गरीबों, वंचितों और अन्य वर्गों की भलाई के लिए खर्च भली–भांति नहीं कर पाती। यही कारण है कि हर साल सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पेयजल इत्यादि जरूरी मदों पर भी अपना खर्च नहीं बढ़ा पाती। कह सकते है कि उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के नाम पर बिजनेस को करों में छूट के कारण राजस्व को भारी नुकसान होता है और गरीबों और वंचितों के लिए सरकारी सुविधाएं नहीं जुट पाती।

लगभग एक माह पहले सरकार ने अपना बजट पेश किया। पिछले वर्षों के बजटों में एक खूबी रही है, कि बड़े–बड़े कारपोरेट घरानों पर कर कम होते रहे हैं, उन्हें तरह–तरह की छूटें भी बड़ी मात्रा में मिलती रही हैं, और आम जनता पर बजट का बोझ बढ़ता रहा है। बजट पत्रों में हर बार एक दस्तावेज प्रकाशित होता है जिसे राजस्व नुकसान का दस्तावेज कहते हैं। यदि व्यैक्तिक आय में बचत, गृह निर्माण, शिक्षा समेत उपयोगी खर्चों को प्रोत्साहन हेतू दी जाने वाली लगभग 45 हजार करोड़ रूपये की छूटों को छोड़ दें तो पता चलता है कि कंपनियों और अन्य बिजनेस को 2009–10 में सरकार द्वारा कारपोरेट टैक्स, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में रियायतों के माध्यम से 4.4 लाख करोड़ रूपये की कर में छूटें दी गई जिसे विभिन्न